न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बाह्य न्यायालय मोहम्मदी, लखीमपुर–खीरी।

सी0एन0आर0नं0–यू0पी0एल0पी0070001712026

जमानत प्रार्थना–पत्र सं0–163 / 2026

फरीद आयु लगभग 42 वर्ष पुत्र हनीफ, निवासी मो0 देवीस्थान, कस्बा व थाना मोहम्मदी, जिला लखीमपुर–खीरी।

.....प्रार्थी / अभियुक्त।

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य .....अभियोगी।

मु0अप0सं0–1097 / 2008,
सत्र परीक्षण सं0–433 / 2010,
धारा–307 भा0दं0सं0,
थाना–मोहम्मदी, जिला खीरी।

दिनांक–18.05.2026

1. प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र प्रार्थी / अभियुक्त फरीद द्वारा थाना–मोहम्मदी, जिला लखीमपुर–खीरी में प्रस्तुत किया गया।

2. प्रार्थी / अभियुक्त का कथन है कि प्रार्थी उपरोक्त मुकदमे में पूर्व से जमानत पर है। प्रार्थी को उपरोक्त मुकदमे में गल पेश पर न्यायालय हाजिर आना था, परन्तु प्रार्थी को तारीख पेशी का सही ज्ञान न होने के कारण प्रार्थी न्यायालय उपस्थित नहीं आ सका और न ही अपने अधिवक्ता को सूचित कर सका, जिस कारण प्रार्थी की हाजिरी माफी प्रार्थना–पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया जा सका और न्यायालय द्वारा प्रार्थी के विरूद्ध गैर जमानतीय वारंट का आदेश पारित कर दिया गया। प्रार्थी ने जानबूझकर न्यायालय की अवहेलना नहीं की है, बल्कि जो भी त्रुटि हुई है, वह उपरोक्त कारणवश हुई है, जो कि क्षमा योग्य है। प्रार्थी काफी गरीब एवं मजदूरी पेशा व्यक्ति है। प्रार्थी ने न्यायालय में स्वयं उपस्थित होकर अपना वारंट वापसी प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया था, जिसे दिनांक 12.05.2026 को निरस्त कर प्रार्थी को जिला कारागार, खीरी भेज दिया गया, तब से प्रार्थी जिला कारागार, खीरी में निरूद्ध है। प्रार्थी जमानत पर मुक्त होने के पश्चात जमानत की सुविधा का दुरूपयोग नहीं करेगा तथा नियत पेशी पर बराबर हाजिर आता रहेगा। प्रार्थी को दौरान मुकदमा उचित जमानत की धनराशि पर मुक्त करने की प्रार्थना की गई है।

3. अभियोजन पक्ष की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा कहा गया है कि प्रार्थी / अभियुक्त के गैर हाजिर होने के कारण प्रस्तुत वाद की कार्यवाही बाधित हुई है। जमानत प्रार्थना–पत्र का विरोध किया गया है।

4. जमानत प्रार्थना–पत्र पर अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी को सुना गया। उपरोक्त वाद की पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया।

5. सत्र परीक्षण सं0–433 / 2010 की पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि

प्रार्थी/अभियुक्त फरीद इस पत्रावली में दिनांक 20.03.2026 से अनुपस्थित चल रहा है तथा दिनांक 20.03.2026 से एन0बी0डब्लू0 जारी है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 12.05.2026 से इस पत्रावली में जिला कारागार में निरूद्ध है। प्रार्थी/अभियुक्त के प्रार्थना–पत्र में न्यायालय द्वारा नियत की गई तिथियों पर भविष्य में उपस्थित आने का कथन किया गया है। अतः मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये प्रार्थी/अभियुक्त का प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी/अभियुक्त फरीद पुत्र हनीफ, निवासी मो0 देवीस्थान, कस्बा व थाना मोहम्मदी, जिला लखीमपुर–खीरी का प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र निम्न शर्तो के साथ स्वीकार किया जाता है :–

1–यह कि अभियुक्त स्वयं के बंध–पत्र की शर्तों के अनुसार न्यायालय में निर्धारित दिनांक पर हमेशा उपस्थित होना सुनिश्चित करेगा।

2–यह कि अभियुक्त अभियोजन साक्षीगण के न्यायालय में साक्ष्य के लिए उपस्थित होने की दशा में स्थगन नहीं लेगा।

3–यह कि अभियुक्त किसी भी तरह से लालच, धमकी या अन्य किसी भी तरह से उक्त अपराध से सम्बंधित किसी भी अभियोजन साक्षी को प्रताड़ित, प्रलोभित या गवाही देने से किसी भी तरह से विरचित या वंचित नहीं करेगा।

4–यह कि न्यायालय द्वारा उक्त केस में सुनिश्चित प्रत्येक दिनांक पर अभियुक्त न्यायालय में सही समय पर उपस्थित रहेगा तथा उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन पर उसका जमानत आदेश निरस्त कर दिया जायेगा।

प्रार्थी/अभियुक्त फरीद पुत्र हनीफ, निवासी मो0 देवीस्थान, कस्बा व थाना मोहम्मदी, जिला लखीमपुर–खीरी द्वारा वर्तमान मामले में मु0 1,00,000/–(एक लाख) रूपये का व्यक्तिगत बंध–पत्र व समान धनराशि की दो विश्वसनीय प्रतिभू दाखिल करने पर नियमानुसार जमानत पर छोड़ा जाये।

दिनांक–18.05.2026

(दिनेश कुमार गौतम),
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
बाह्य न्यायालय मोहम्मदी,
जिला लखीमपुर–खीरी।
Jo Code UP1845